बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

पत्रांक–17/स्था॰–10–07/2015 सा॰प्र॰ 7914 दिनांक– 1-6-15

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रधान
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

विषयः– बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर सेवानिवृत कर्मियों की सेवायें लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों से बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु अधियाचनाएं प्राप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त सभी पद प्रोन्नति का पद है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश सं0–11218 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दिये जाने के कारण उक्त पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई तत्काल स्थगित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010 द्वारा सेवानिवृत कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें संविदा पर लेने की व्यवस्था की गई है। आदेश सं0–2691 दिनांक 19.02.2015 तथा आदेश सं0–4189 दिनांक 18.03.2015 द्वारा क्रमशः बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं अवर सचिव तथा प्रशाखा पदाधिकारी के पद को संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका–4 में सम्मिलित कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति नहीं होने तक संकल्प सं0–2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका–5 (ख) एवं अनुवर्ती आदेश सं0–2691 दिनांक 19.02.2015 तथा 4189 दिनांक 18.03.2015 के आलोक में आवश्कतानुसार अपने स्तर से रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर सेवानिवृत कर्मियों की सेवा लेने की नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

29/5/2015

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

D:/Anish Document/ Anumodan/Anumodan hetu prarup3.docx [214]